छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

प्रकरण क्रमांक : SM-PRO-2018-00183

रजिस्ट्रार, छत्तीसगढ़ रेरा विरूद्ध श्री अनिल मेवाड़े

प्रोजेक्ट– कल्पवृक्ष, पुराना धमतरी रोड, रायपुर (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
26/10/2018.	– प्रकरण प्रस्तुत। – अनावेदक श्री अनिल मेवाड़े स्वयं उपस्थित। – प्रस्तुत प्रकरण में अनावेदक द्वारा रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर एवं रेरा की वेबसाईट दर्शाये बगैर, पुराना धमतरी रोड, रायपुर स्थित रियल एस्टेट प्रोजेक्ट का बल्क एस.एम.एस के माध्यम से विज्ञापन/क्रय हेतु ऑफर प्रसारित किया गया था। – इस संबंध में अनावेदक को आहूत कर स्वयं का पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया। अनावेदक ने प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होकर लिखित जवाब प्रस्तुत किया। जिसमें अनावेदक ने प्रमुख रूप से कथन किया है कि वे अधिनियम की धारा 9 के तहत् प्राधिकरण में रियल एस्टेट एजेंट के रूप में पंजीकृत हैं और उनका पंजीयन क्रमांक–CGRERA110418A000067 है। अनावेदक द्वारा बल्क एस.एम.एस. के माध्यम से ''कल्पवृक्ष'' का विज्ञापन किया गया था, उक्त प्रोजेक्ट भी रेरा में पंजीयन क्रमांक–PCGRERA170718000584 के रूप में पंजीकृत है। अनावेदक ने उल्लेख किया है कि बल्क एस.एम.एस में शब्दों के लिए कम स्थान होने के कारण रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर एवं रेरा वेबसाईट का उल्लेख त्रुटिवश नहीं किया गया था। अनावेदक ने सद्भाविक त्रुटि के कारण क्षमा याचना की है। – प्रकरण का अवलोकन व परिशीलन किया। प्रकरण में अनावेदक बल्क एस.एम.एस. प्रसारित करने की तिथि के काफी पूर्व ही रेरा में रियल एस्टेट एजेंट के रूप में पंजीकृत है। अनावेदक द्वारा रियल एस्टेट एजेंट के रूप में जिस प्रोजेक्ट का विज्ञापन किया गया था, वह प्रोजेक्ट भी पूर्व से ही रेरा में पंजीकृत है। प्रकरण की परिस्थितियों से परिलक्षित होता है कि अनावेदक द्वारा की गई त्रुटि सद्भाविक है। अतः अनावेदक को भविष्य में किए जाने वाले किसी भी तरह के विज्ञापन में रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर व छत्तीसगढ़ रेरा की वेबसाईट का	

छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

प्रकरण कमांक : SM-PRO-2018-00183

रजिस्ट्रार, छत्तीसगढ़ रेरा विरूद्ध श्री अनिल मेवाड़े

प्रोजेक्ट– कल्पवृक्ष, पुराना धमतरी रोड, रायपुर (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
	अनिवार्य रूप से उल्लेख करने तथा अधिनियम के प्रावधानों का किसी भी रूप में उल्लंघन न करने की चेतावनी देते हुए प्रकरण नस्तीबद्ध किया जाता है। – प्रकरण अभिलेखागार भेजा जावे। (नरेन्द्र कुमार असवाल) सदस्य भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण छत्तीसगढ़, रायपुर (राजीव कुमार टम्टा) सदस्य भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण छत्तीसगढ़, रायपुर (विवेक ढाँड) अध्यक्ष भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण छत्तीसगढ़, रायपुर	